

**राजस्थान विधान सभा**

**षष्ठम् सत्र**

**कार्य-सूची**

**बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2011**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनार्ये**

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, वित्त एवं गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

**वित्त विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(77)एफडी/टैक्स/2010-70 दिनांक 6.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(77)एफडी/टैक्स/2010-71 दिनांक 6.9.2010 जिसके द्वारा शवदाह गृहस्थल, जहां शवदाह एलपीजी या विद्युत ऊर्जा द्वारा किया जाएगा, के निर्माण हेतु ठेकेदारों द्वारा जो माल संविदा के संबंध में स्थानान्तरण हुआ है, को वैट से मुक्त किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(105)एफडी/टैक्स/2010-72 दिनांक 8.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)एफडी/टैक्स/10-73 दिनांक 8.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)एफडी/टैक्स/10-74 दिनांक 8.9.2010 जिसके द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड/अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को विक्रय या क्रय किये गये हाईस्पीड डीजल पर 13 प्रतिशत से अधिक वैट को कर मुक्त किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.2(14)एफडी/टैक्स/2010-75 दिनांक 21.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेट्री कमीशन को स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.2(14)एफडी/टैक्स/2010-76 दिनांक 21.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेट्री कमीशन को पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.2(2)एफडी/टैक्स/09-77 दिनांक 30.9.2010 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-78 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हेतु खरीदे जाने वाले सामान और उपकरण को वैट से मुक्त किया गया है ;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-79 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हेतु काम में आने वाले माल के स्थानान्तरण को वैट से मुक्त किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-80 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में (समय-समय पर यथा संशोधित) संशोधन किया गया है ;
- 12- अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10-81 दिनांक 6.10.2010 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम आने वाले सामान एवं उपकरण को स्थानीय क्षेत्रों में लाये जाने हेतु प्रवेश कर से मुक्त किया गया है ;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.12(105)एफडी/टैक्स/2010-82 दिनांक 7.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.2(38)एफडी/टैक्स/2010-83 दिनांक 13.10.2010 जिसके द्वारा इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आवंटित भूमि पर उक्त संस्था द्वारा निर्मित मकान, फ्लेट्स के अपने सदस्यों के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निष्पादित विलेख पर देय स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है ;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.2(48)एफडी/टैक्स/10-84 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(26)एफडी/टैक्स/98-पार्ट/68 दिनांक 28.6.2003 को विखण्डित किया गया है;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.2(56)एफडी/टैक्स/10-85 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा अपनी ऑथोराइज्ड शेयर केपीटल 5000/- से बढ़ाकर 10,000/- करोड़ रुपये करने पर आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.12(39)एफडी/टैक्स/10-86 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-20 की उपधारा-2(ए) के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित तीन श्रेणियों की वस्तुओं की खरीद से छूट प्रदान की गई है ;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.5(21)एफडी/टैक्स/10-87 दिनांक 26.10.2010 जिसके द्वारा शपथ पत्रों को नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है ;
- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.2(37)एफडी/टैक्स/2010-88 दिनांक 26.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तर्गत लीज डीड पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है ;

- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-89 दिनांक 12.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 21- अधिसूचना संख्या: एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-90 दिनांक 12.11.2010 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या :एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-80 दिनांक 10.11.2008 में संशोधन किया गया है ;
- 22- अधिसूचना संख्या: एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-91 दिनांक 12.11.2010 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या :एफ.12(33)एफडी/टैक्स/08-81 दिनांक 10.11.2008 में संशोधन किया गया है ;
- 23- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)एफडी/टैक्स/2001-92 दिनांक 29.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 24- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)एफडी/टैक्स/2001-93 दिनांक 29.11.2010 जिसके द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को विक्रय किये जाने वाले सोया तेल के विक्रय को सशर्त कर के भुगतान से मुक्त किया गया है ;
- 25- अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)एफडी/टैक्स/10-94 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा जयपुर में दिनांक 1.12.2010 को आयोजित भारत एवं न्यूजीलैण्ड के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है ;
- 26- अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)एफडी/टैक्स/10-95 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, द्वारा अपनी ऑथोराइज्ड अंश पूंजी रूपये 1500/- करोड़ से बढ़ाकर रूपये 2500/- करोड़ रूपये करने की संशोधित आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार/छूट प्रदान की गई है ;
- 27- अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)एफडी/टैक्स/10-96 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा ऑथोराइज्ड अंश पूंजी रूपये 5.00 करोड़ से 30.00 करोड़ रूपये बढ़ाने बाबत कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार/छूट प्रदान की गई है ;
- 28- अधिसूचना संख्या: एफ.2(82)एफडी/टैक्स/2010-97 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा एफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी, 2009 के तहत ईडब्लूएस/एलआईजी श्रेणी के मकानों के लिये देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
- 29- अधिसूचना संख्या: एफ.2(98)एफडी/टैक्स/10-98 दिनांक 2.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के उपकरणों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

- 30- अधिसूचना संख्या: एफ.2(19)एफडी/टैक्स/2007-99 दिनांक 10.12.2010 जिसके द्वारा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त कमी की गई है ;
- 31- अधिसूचना संख्या: एफ.24(5)एफडी/टैक्स/10-100 दिनांक 14.12.2010 जिसके द्वारा राजमंदिर सिनेमा में दिनांक 2.1.2011 को प्रातः 8.30 से 12.00 बजे तक हिन्दी फिल्म 'पा' के प्रदर्शन को कर मुक्त किया गया है ;
- 32- अधिसूचना संख्या: एफ.24(2)एफडी/टैक्स/2010-101 दिनांक 16.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थानी उत्कृष्ट फिल्मों को (यू-प्रमाण-पत्र) 5.00 लाख तक का अनुदान स्वीकृत किया गया है ;
- 33- अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)एफडी/टैक्स/2010-102 दिनांक 20.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 34- अधिसूचना संख्या : एफ.4(6)एफडी/टैक्स-डीवी/03-पार्ट-103 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.4(6) एफडी/टैक्स-डीवी/03-पार्ट/29 दिनांक 28.4.2003 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 35- अधिसूचना संख्या: एफ.4(102)एफडी/टैक्स-डीवी/04-104 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
- 36- अधिसूचना संख्या: एफ.4(102)एफडी/टैक्स-डीवी/04-105 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा मैसर्स समटेल ग्लास लिमिटेड, कोटा (मैसर्स समकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा) को राज्य में निर्माण किये गये कलर फनल्स व कलर पैनल्स के विक्रय हेतु देय कर भुगतान में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 37- अधिसूचना संख्या: एफ.4(102)एफडी/टैक्स-डीवी/04-106 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा मैसर्स समटेल ग्लास लिमिटेड, कोटा (मैसर्स समकोर ग्लास लिमिटेड, कोटा) के अन्तर्राज्यीय व्यापार हेतु विक्रय किये जाने वाले कलर फनल्स व कलर पैनल्स को कर भुगतान में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;
- 38- अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)एफडी/टैक्स-डीवी/06-107 दिनांक 28.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)एफडी/टैक्स /2007-141 दिनांक 9 मार्च, 2007 में संशोधन किया गया है ;
- 39- अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-108 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

- 40- अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-109 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
- 41- अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-110 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-38 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को वापिस लिया गया है ;
- 42- अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-111 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-18 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को विखण्डित किया गया है ;
- 43- अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-112 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-19 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को विखण्डित किया गया है ;
- 44- अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-113 दिनांक 31.12.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/टैक्स/2001-129 दिनांक 13.2.2007 (समय-समय पर यथा-संशोधित) को अतिष्ठित किया गया है ;
- 45- अधिसूचना संख्या: एफ.12(111)एफडी/टैक्स/2009-पार्ट-114 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)एफडी/टैक्स-डीवी/2000-21 दिनांक 28.6.2004 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 46- अधिसूचना संख्या: एफ.12(111)एफडी/टैक्स/2009-पार्ट-115 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(52)एफडी/टैक्स/09-पार्ट-113 दिनांक 31.12.2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 47- अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-116 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-58 दिनांक 3.11.2009 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 48- अधिसूचना संख्या: एफ.12(102)एफडी/टैक्स/10-117 दिनांक 6.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को 180 बसों की खरीद पर कर में छूट प्रदान की गई है ;
- 49- अधिसूचना संख्या: एफ.2(69)एफडी/टैक्स/10-118 दिनांक 12.1.2011 जिसके द्वारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देय ब्याज राशि रूपये 4,24,637/- का परिहार किया गया है ;

- 50- अधिसूचना संख्या: एफ.24(5)एफडी/टैक्स/10-119 दिनांक 13.1.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.24(5)एफडी/टैक्स/10-100 दिनांक 14.12.2010 को अतिष्ठित किया गया है ;
- 51- अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)एफडी/टैक्स/11-120 दिनांक 17.1.2011 जिसके द्वारा दिनांक 17.1.2011 से 16.2.2011 की अवधि में गोलछा सिनेमा, जयपुर में प्रातःकालीन शो में दिखाई जाने वाली कतिपय फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ;
- 52- अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)एफडी/टैक्स-डिवी/11-121 दिनांक 2.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ; एवं
- 53- अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)एफडी/टैक्स/11-122 दिनांक 2.2.2011 जिसके द्वारा सदस्य सचिव, राज्य युवा बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2011 तक उदयपुर में आयोजित 16वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 2011 हेतु खरीदे गये भोजन पर संदेय वैट से छूट प्रदान की गई है।

### गृह विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 24.11.2010 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में उनकी अधिकारिता के क्षेत्र में नियुक्त किया गया है ; एवं
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 24.11.2010 जिसके द्वारा निदेशक, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राजस्थान को राजस्थान राज्य के लिये विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित किया गया है।

II - श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

### पंचायती राज विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या :एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/10/1842 दिनांक 14.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या :एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2010/2113 दिनांक 26.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या :एफ.4(21)एसईसी/लॉ/रूल/एमेन्ड/पीआरडी/08/144 दिनांक 27.1.2011 जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्त) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;

III - श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**परिवहन विभाग**

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(75)परि/कर/मु/08/72038 दिनांक 7.9.2010 जिसके द्वारा अधिसूचना जारी होने की दिनांक से मेल अवधि तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जैसलमेर जिला) आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 3500/- रुपये से अधिक करों का परिहार किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(135)परि/कर/मु/04 दिनांक 10.9.2010 जिसके द्वारा रामकृष्ण मिशन, विवेकानन्द स्मृति मंदिर, खेतड़ी, झुंझुनूं के वाहन को सशर्त कर-मुक्त किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(89)परि/कर/मु/98 दिनांक 4.10.2010 जिसके द्वारा वर्ष 2008 व उसके पश्चात् से आदिनांक तक सम्पन्न विभिन्न चुनावों हेतु अधिगृहित किये गये वाहनों को विशेष पथकर से मुक्त किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(123)परि/कर/मु/05 दिनांक 11.10.2010 जिसके द्वारा इस्कोन फूड रिलीफ फाउण्डेशन 84/230, संत नामदेव मार्ग, मानसरोवर, जयपुर के कतिपय वाहनों को सशर्त कर-मुक्त किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(59)परि/कर/मु/05/75280 दिनांक 1.11.2010 जिसके द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजाति छात्राओं को प्रोत्साहन रूप में निःशुल्क वितरित स्कूटी वाहनों पर देय करों का परिहार किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(135)परि/कर/मु/04 दिनांक 16.12.2010 जिसके द्वारा रामकृष्ण मिशन, गौतम मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के कतिपय वाहनों को सशर्त कर-मुक्त किया गया है ; एवं
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.6(127)परि/कर/मु/07 दिनांक 18.1.2011 जिसके द्वारा सुरमन संस्थान, वैशालीनगर, जयपुर के वाहन को सशर्त कर-मुक्त किया गया है।

**(ख) वार्षिक प्रतिवेदन**

(1) श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे।

(2) श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकर्घा विकास निगम लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे।

### **3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन**

श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- शिक्षा, ऊर्जा, स्वायत्त शासन एवं राजस्व विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं से संबंधित याचिका समिति, 2010-2011 का छठा प्रतिवेदन ; एवं
- 2- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वायत्त शासन, शिक्षा एवं सिंचाई विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं से संबंधित याचिका समिति, 2010-2011 का सातवां प्रतिवेदन।

### **4. याचिकाओं का उपस्थापन**

- 1- श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में 220 केवी, 132 केवी व 33/11 केवी के सब-ग्रिड स्टेशन स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- 2- श्री पवन दुग्गल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-
  - I- अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बंद पड़े जीएलआर (भू-तल जलाशय) को चालू करने बाबत् ;
  - II- अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने बाबत् ; एवं
  - III - अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने बाबत्।
- 3- डॉ. गोपाल जोशी, सदस्य, विधान सभा, बीकानेर विधान सभा क्षेत्र (पश्चिम) के गंगा शहर क्षेत्र में वर्तमान में स्थित चिकित्सालय को सैटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।
- 4- श्री हबीबुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा, समेरण पंचायत, नागौर माध्यमिक विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।



5- श्री मेवाराम जैन, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत शिवकर, भुरटिया, उण्डखा, मारूड़ी एवं हाथीतला में ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

**5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रोत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर**

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रोत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा:-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

**सचिव  
राजस्थान विधान सभा**

**विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 22 फरवरी, 2011**